

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)**प्रकरण संख्या
110/2021
(GCMS 2021/476)दाखर दिनांक
25.11.2021निर्णय दिनांक
14.12.2021**अनवान**अभिमन्यु शर्मा (मो. 9694736709), गणगौर गार्डन, बेंगू
तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़।**अपीलाट****बनाम**सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगू तहसील बेंगू
जिला चित्तौड़गढ़**रेस्पोंडेंस****अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005**

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक
सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगू तहसील बेंगू जिला
चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.10.2021
को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी
अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से
अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर
की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक सरिश्ता/प्र.सं./110/2021(सू.अ.)
(14.12.2021)/1192 दिनांक 25.11.2021 से सहायक लोक सूचना
अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ को अपील
में की प्रति प्रेषित करते हुवे दिनांक 14.12.2021 से पूर्व कमेंट्स
प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी रजिस्टर्ड पत्र से
अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया। रजिस्टर्ड पत्र
के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को
अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं रहे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार
बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/907
दिनांक 09.12.2021 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा
प्रस्तुत आवेदन का प्रत्युत्तर कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2021/906
दिनांक 07.12.2021 से अपीलार्थी को प्रेषित किया गया जा चुका है।
सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित प्रत्युत्तर की
प्रति प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।



८ ३

(तारा चन्द मीणा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब/कमेन्ट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर चिंतन-मनन किया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक/राजस्व/2021/906 दिनांक 07.12.2021 से सूचित किया गया है कि उपरोक्त वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार, प्रकोष्ठ) जयपुर के आदेश क्रमांक: प्र3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 03 अनुसार सूचना को सृजित करने की श्रेणी में आती है साथ ही इस प्रकार की सूचना का इस कार्यालय में संधारण नहीं किया गया गया है। अतः उपरोक्त सूचना का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 में सूचना चाही गई यह है कि तहसील बेंगू में 25 बीघा भूमि या इससे अधिक किन किन व्यक्तियों के नाम दर्ज है। (प्रत्येक राजस्व ग्राम का अलग-अलग विवरण) चाहा गया है। इस संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया है, कार्यालय में इस प्रकार से सूचना का संधारण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जहाँ कार्यालय में सूचना के संधारण का प्रश्न है तो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है कि उक्त प्रकार से सूचना का संधारण कार्यालय में नहीं गया है ऐसी स्थिति में प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र दिनांक 02.02.2009 प्रकरण में अधिभावी होगा जिससे अपीलार्थी को उक्त सूचना का सृजन कर दिया जाना संभाव्य नहीं है। इसके साथ ही हमारा अभिमत है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड के संबंध में सूचना चाही गई जो कि पब्लिक डोमेन पर आसानी से उपलब्ध है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगू एवं अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक के भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(तारा बन्दीगीगा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,
जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)